

Serial No. 83/2011

Eastern Railway


No.CPO/MPP/238/PtVII

Dated 11.07.2011

All Concerned

Sub : Surrendering of Higher Grade Posts.

Copy of Railway Board's letter No.E(MPP)/2009/6/8 dated 17.06.2011(RBE No.91/2011) is appended for information, guidance & necessary action. Railway Board's earlier letter dated 6.3.07 (RBE No.-32/2007) has already been circulated vide this office Serial No.-35/2007


(M.C. Ghosh Dastidar)
Dy. Chief Personnel Officer/NC
for Chief Personnel Officer.

Copy of Railway Board's letter No.E(MPP)/2009/6/8 dated 17.06.2011(RBE No.-91/2011) addressed to GM, All Indian Railways & others.

Sub : Surrendering of Higher Grade Posts.

In the PNM meeting held between Railway Board and All India Railwaymen's Federation on 21st & 22nd December, 2010 the issue of surrendering/creation of higher grade posts was discussed and it was informed that vide Board's letter No. E(MPP)/2005/1/54/Vol.III dated 6.3.2007(RBE No.32/2007) higher grade posts affecting promotional prospects of the staff and safety categories are not to be surrendered. It was also advised in the said letter that Railways should review the strength of all categories of staff critically and rightsize accordingly.

Pursuant to the discussions held in the aforesaid PNM, the matter has been further reviewed and decided that whatever surrender of higher grade posts has taken place the Railways, if felt necessary, may create safety category posts as per extant orders as applicable for creation of new posts.

Index No. - 1081 – Whatever surrender of higher grade posts has taken place the Railways, if felt necessary, may create safety category posts as per extant orders as applicable for creation of new posts.

पूर्व रेलवे

क्रमांक -13/2011

सं. सी पी ओ/एम पी पी/238/पी टी-vii

दिनांक 11/7/11

सर्व संबंधित

विषय : उच्चतर ग्रेड पदों को सरेंडर करना।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(एम पी पी)/2009/6/8 दिनांक 17.06.2011 (आर बी ई सं. 91/2011) की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। उसमें उल्लिखित बोर्ड का पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 06.03.07 (आर बी ई सं. 32/2007) इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 35/2007 के तहत पहले ही परिपत्रित किया जा चुका है।

एम. सी. घोषा इस्तिदार
(एम. सी. घोषा इस्तिदार) 11/7/11

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/उ राज.
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधक एवं अन्य को सम्बोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(एम पी पी)/2009/6/8 दिनांक 17.06.2011 (आर बी ई सं. 91/2011) की प्रतिलिपि।

विषय : उच्चतर ग्रेड पदों को सरेंडर करना।

21 एवं 22 दिसंबर, 2010 को रेलवे बोर्ड एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बीच हुई पी एन एम की बैठक में उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर करने/सृजन करने के मामले पर विचार-विमर्श किया गया था और बोर्ड के 06.03.2007 के पत्र सं. ई (एम पी पी)/2005/1/ 54/वॉल्यूम-III (आर बी ई सं. 32/2007) द्वारा यह सूचित किया गया था कि कर्मचारी और संरक्षा कोटियों की पदोन्नति के अवसर को प्रभावित करने वाले उच्चतर ग्रेड के पदों को सरेंडर न किया जाए। उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि रेलवे सभी कोटियों के कर्मचारी की संख्या की शारीकी से समीक्षा करे और तदनुसार उसे सही आकार दे।

उपर्युक्त पी एन एम बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में इस मामले की फिर से समीक्षा की गई और विनिश्चय किया गया है कि रेलवे में जितने भी उच्चतर ग्रेड के पदों का सरेंडर हुआ है, यदि आवश्यक समझा जाए तो नए पदों के सृजन के लिए यथा लागू मौजूदा आदेशों के अनुसार संरक्षा कोटि के पदों को सृजित किया जाए।

सूचकांक : 1081- रेलवे में जितने भी उच्चतर ग्रेड के पदों का सरेंडर हुआ है, यदि आवश्यक समझा जाए तो नए पदों के सृजन के लिए यथा लागू मौजूदा आदेशों के अनुसार संरक्षा कोटि के पदों को सृजित किया जाए।